/लोक सभा/

"33"
pib.nic.in
mod.nic.in

पत्र सूचना कार्यालय (रक्षा विंग)
भारत सरकार
****
'हर काम देश के नाम'

नई दिल्लीः अग्रहायण 18, 1944
शुक्रवारः 09 दिसंबर 2022

प्रौद्योगिकी विकास निधि के तहत समर्थन प्राप्त करने वाले उद्योग

अब तक टीडीएफ योजना के तहत कुल 54 उद्योगों को सहायता दी जा चुकी है। टीडीएफ योजना के तहत समर्थित उद्योगों का क्षेत्र-वार और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार विवरण **परिशिष्ट 'क'** के रूप में संलग्न है।

टीडीएफ योजना के तहत कुल 04 प्रौद्योगिकियों का सफलतापूर्वक विकास किया गया है।

टीडीएफ योजना के तहत क्षेत्र-वार, कंपनी-वार आबंटित/वितरित निधियों का विवरण **परिशिष्ट 'ख'** पर संलग्न है।

अभी तक प्रदान की गई परियोजनाओं के लिए टीडीएफ योजना के तहत अभिरूचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) के रूप में कुल 340 आवेदन प्राप्त हुए हैं। किसी सामान्य मामले हेतु परियोजना को दिए जाने तक आवेदन को संसाधित करने में लगने वाला कुल समय औसतन 06 माह है।

यह एक सतत प्रक्रिया है जिसमें विशिष्ट परियोजनाओं के लिए प्राप्त की गई उपलब्धियों के साथ भुगतान जुड़ा हुआ है। कंपनी से प्राप्त प्रासंगिक सहायक दस्तावेजों के साथ बिल जमा करने की तारीख से कंपनी के खाते में राशि संवितरण के लिए लगभग 45 दिन लगते हैं।

'प्रौद्योगिकी विकास निधि के तहत समर्थन प्राप्त करने वाले उद्योग' के बारे में उल्लिखित परिशिष्ट 'क'

क्र.सं	उद्योगों का नाम	औद्योगिक क्षेत्र	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम
1	सी टी टी सी भुवनेश्वर	स्वायत्त/ मंत्रालय एमएसएमई	ओडिशा
2	मैसर्स एस्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट लिमिटेड ,हैदराबाद	विशाल	तेलंगाना
3	गोदरेज एंड बॉयेस एमएफजी कंपनी लि., मुंबई	विशाल	महाराष्ट्र
4	लार्सन एंड टर्बो लि. मुंबई	विशाल	महाराष्ट्र
5	मैसर्स भारत फोर्ज लि -रक्षा तथा एयरोस्पेस, बेंगलुरू	विशाल	कर्नाटक

6	मैसर्स राष्ट्रीय अभियांत्रिकी इंडस्ट्रीज लिमिटेड ,जयपुर	विशाल	राजस्थान
7	मैसर्स ट्रिनिटेक इंफ्रास्ट्रक्चर (भारत) प्रा .लिमिटेड, विशाखापत्तनम	एमएसएमई	आंध्र प्रदेश
8	मैसर्स सम्बद्ध अभियांत्रिकी वर्क्स प्रा .लिमिटेड ,दिल्ली	एमएसएमई	दिल्ली
9	मैसर्स टाइमटूथ प्रौद्योगिकी प्राइवेट लिमिटेड ,दिल्ली	एमएसएमई	दिल्ली
10	लॉजिक फ्रूट प्रौद्योगिकी (प्रा.) लिमिटेड , गुरुग्राम	एमएसएमई	हरियाणा
11	मैसर्स स्कॉट एडिल फार्मेशिया लिमिटेड ,चंडीगढ़	एमएसएमई	हरियाणा
12	योटेक सिस्टम एलएलपी ,बेंगलुरु	एमएसएमई	कर्नाटक
13	मैसर्स एडल सिस्टम ,बेंगलुरु	एमएसएमई	कर्नाटक
14	वाल्देल विकसित प्रौद्योगिकी प्रा .लिमिटेड , बेंगलुरु	एमएसएमई	कर्नाटक
15	मैसर्स पार्क नियंत्रण और संचार (प्रा.) लिमिटेड ,बेंगलुरु	एमएसएमई	कर्नाटक
16	मैसर्स वर्साबाइट डाटा सिस्टम प्रा .लिमिटेड ,बेंगलुरु	एमएसएमई	कर्नाटक
17	मैसर्स कॉगनाइट सिमेंटिक्स प्राइवेट लिमिटेड ,बेंगलुरु	एमएसएमई	कर्नाटक
18	मैसर्स गनानी इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड ,बेंगलुरु	एमएसएमई	कर्नाटक
19	मैसर्स एडिन प्रौद्योगिकी प्राइवेट लिमिटेड ,बेंगलुरु	एमएसएमई	कर्नाटक
20	मैसर्स वेरडेंट टेलीमेटरी और एंटीना प्रणाली प्रा .लिमिटेड, कोच्चि	एमएसएमई	केरल
21	टेक्नोक्राफ्ट इंडस्ट्रीज भारत लिमिटेड ,मुंबई	एमएसएमई	महाराष्ट्र
22	मैसर्स एकीकृत औद्योगिक कम्पोज़ाइट प्रा .लिमिटेड , नासिक, महाराष्ट्र	एमएसएमई	महाराष्ट्र
23	मैसर्स एसबीईएम प्रा .लिमिटेड ,पुणे	एमएसएमई	महाराष्ट्र
24	मैसर्स इंस्ट्रॉन प्रौद्योगिकी एलएलपी ,पुणे	एमएसएमई	महाराष्ट्र
25	मैसर्स जयश्री एनकोडर्स प्रा .लिमिटेड ,पुणे	एमएसएमई	महाराष्ट्र
26	ज़ीउस न्यूमेरिक्स प्रा .लिमिटेड ,भुवनेश्वर	एमएसएमई	ओडिशा
27	मैसर्स पिलानी इलेक्ट्रॉन ट्यूब्स और उपकरण प्राइवेट लिमिटेड , संगरूर	एमएसएमई	पंजाब
28	मैसर्स मैटेलिक बैलॉस भारत प्रा .लिमिटेड ,चेन्नई	एमएसएमई	तमिलनाडु
29	मैसर्स चक्रधर एयरोस्पेस और कार्गो प्राइवेट लिमिटेड, कोयंबत्तूर	एमएसएमई	तमिलनाडु
30	मैसर्स चक्रधर एयरोस्पेस और कार्गो प्राइवेट लिमिटेड, कोयंबत्तूर	एमएसएमई	तमिलनाडु
31	मैसर्स हाई एनर्जी बैटरी (भारत) लिमिटेड ,चेन्नई	एमएसएमई	तमिलनाडु
32	जिश्नु संचार लिमिटेड ,हैदराबाद	एमएसएमई	तेलंगाना
33	मैसर्स स्मार्ट मशीन और स्ट्रक्चर हैदराबाद	एमएसएमई	तेलंगाना
34	मैसर्स नवस्टार एकीकृत प्रणाली प्रा .लिमिटेड ,हैदराबाद, तेलंगाना	एमएसएमई	तेलंगाना
35	मैसर्स रासु टूल्स लिमिटेड ,संगारेड्डी (तेलंगाना)	एमएसएमई	तेलंगाना
36	मैसर्स न्यूकॉन एयरोस्पेस प्रा .लिमिटेड ,हैदराबाद	एमएसएमई	तेलंगाना
37	सैमटेल वैमानिकी लिमिटेड , नोएडा	एमएसएमई	उत्तर प्रदेश
38	मैसर्स इनोकी केयर प्राइवेट लिमिटेड ,जोरहाट (असम)	स्टार्ट-अप	असम
39	मैसर्स इनजीनियस रिसर्च साल्यूशन प्रा .लिमिटेड , फरीदाबाद	स्टार्ट-अप	हरियाणा
40	बेलाट्रिक्स एयरोस्पेस प्रा .लिमिटेड बेंगलुरू	स्टार्ट-अप	कर्नाटक

41	मैसर्स न्यूस्पेस रिसर्च तथा प्रौद्योगिकी प्राइवेट लिमिटेड, बेंगलुरू	स्टार्ट-अप	कर्नाटक
42	मैसर्स फ्रशर प्रौद्योगिकी प्राइवेट लिमिटेड ,बेंगलुरू	स्टार्ट-अप	कर्नाटक
43	मैसर्स वशिष्ठ रिसर्च प्रा.लि., तिरुवनंतपुरम, (डी2डी विनर)	स्टार्ट-अप	केरल
44	मैसर्स कॉम्बेट रोबोटिक्स इंडिया प्रा.लि., चिखली	स्टार्ट-अप	मध्य प्रदेश
45	मैसर्स मनास्तु अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी ,प्राइवेट लिमिटेड ,मुंबई	स्टार्ट-अप	महाराष्ट्र
46	मैसर्स चिस्तात लैब प्रा .लिमिटेड ,पुणे	स्टार्ट-अप	महाराष्ट्र
47	मैसर्स तेजसे एयरोसेंस प्रा .लिमिटेड ,राउरकेला	स्टार्ट-अप	ओडिशा
48	मैसर्स क्वार्टोडोंडा प्रौद्योगिकी प्रा .लिमिटेड ,तंजावुर (तमिलनाडु)	स्टार्ट-अप	तमिलनाडु
49	डॉ एमजीआर – एआरआई प्रौद्योगिकी इनोवेशन प्रा .लिमिटेड, चेन्नई	स्टार्ट-अप	तमिलनाडु
50	मैसर्स स्काईरूट एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड ,हैदराबाद	स्टार्ट-अप	तेलंगाना
51	राफेम्फिब्र प्रा .लिमिटेड	स्टार्ट-अप	उत्तर प्रदेश
52	मैसर्स मॉर्फेडो प्रौद्योगिकी प्रा .लिमिटेड , नोएडा	स्टार्ट-अप	उत्तर प्रदेश
53	मैसर्स अल्फासीन प्रौद्योगिकी प्रा .लिमिटेड ,लखनऊ	स्टार्ट-अप	उत्तर प्रदेश
54	मैसर्स स्किसेप्ट एडवांस्ड प्रौद्योगिकी (ओपीसी) प्रा.लि. , कोलकाता ,पश्चिम बंगाल	स्टार्ट-अप	पश्चिम बंगाल

'प्रौद्योगिकी विकास निधि के तहत समर्थन प्राप्त करने वाले उद्योग' के बारे में उल्लिखित परिशिष्ट 'ख'

क्र.सं.	कंपनी का नाम	क्षेत्र	कुल परियोजना लागत (लाख रुपए में)	राशि संवितरित (लाख रुपए में)
1	सी टी टी सी भुवनेश्वर	स्वायत्तशासी/ मंत्रालय एमएसएमई	450	124.32813
2	सी टी टी सी भुवनेश्वर	स्वायत्तशासी/ मंत्रालय एमएसएमई	750	93.42841
3	मैसर्स एस्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट लिमिटेड , हैदराबाद	विशाल	890	341.55
4	भारत फोर्ज लिमिटेड, बेंगलुरू	विशाल	911	409.95
5	गोदरेज एंड बॉयेस एमएफजी कंपनी लि., मुंबई	विशाल	897.4	116.25053
6	लार्सन एंड टर्बो लि. मुंबई	विशाल	210	0
7	लार्सन एंड टर्बो लि. मुंबई	विशाल	981	60.41141
8	मैसर्स भारत फोर्ज लि -रक्षा तथा एयरोस्पेस, बेंगलुरू	विशाल	952.57	171.4626
9	मैसर्स राष्ट्रीय अभियांत्रिकी इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जयपुर	विशाल	960	116.406

10	सैमटेल वैमानिकी लिमिटेड, नोएडा	एमएसएमई	517	325.71
11	लॉजिक फ्रूट प्रौद्योगिकी (प्रा.) लिमिटेड, गुरुग्राम	एमएसएमई	517	493.864
12	ज़ीउस न्यूमेरिक्स प्रा .लिमिटेड, भुवनेश्वर	एमएसएमई	485	362.40091
13	जिश्नु संचार लिमिटेड ,हैदराबाद	एमएसएमई	769.65	213.20387
14	योटेक सिस्टम एलएलपी ,बेंगलुरु	एमएसएमई	598.5	262.17059
15	मैसर्स एडल सिस्टम ,बेंगलुरु	एमएसएमई	453.05	95.805
16	मैसर्स स्कॉट एडिल फार्मेशिया लिमिटेड, चंडीगढ़	एमएसएमई	280	102.53278
17	मैसर्स सम्बद्ध अभियांत्रिकी वर्क्स प्रा. लिमिटेड, दिल्ली	एमएसएमई	800	287.30827
18	मैसर्स वेरडेंट टेलीमेटरी और एंटीना प्रणाली प्रा . लिमिटेड,कोच्चि	एमएसएमई	32	0
19	टेक्नोक्राफ्ट इंडस्ट्रीज भारत लिमिटेड ,मुंबई	एमएसएमई	720	77.51473
20	ज़ीउस न्यूमेरिक्स प्रा .लिमिटेड ,भुवनेश्वर	एमएसएमई	520	113.16853
21	मैसर्स मैटेलिक बैलॉस भारत प्रा .लिमिटेड , चेन्नई	एमएसएमई	300	16.79
22	मैसर्स मैटेलिक बैलॉस भारत प्रा .लिमिटेड , चेन्नई	एमएसएमई	500	93
23	वाल्देल विकसित प्रौद्योगिकी प्रा .लिमिटेड, बेंगलुरु	एमएसएमई	299.97	76.64399
24	मैसर्स स्मार्ट मशीन और स्ट्रक्चर हैदराबाद	एमएसएमई	173	61.95718
25	मैसर्स मैटेलिक बैलॉस भारत प्रा .लिमिटेड , चेन्नई	एमएसएमई	295.862	17.784
26	मैसर्स वेरडेंट टेलीमेटरी और एंटीना प्रणाली प्रा . लिमिटेड, कोच्चि	एमएसएमई	158	0
27	मैसर्स एकीकृत औद्योगिक कम्पोज़ाइट प्रा . लिमिटेड , नासिक, महाराष्ट्र	एमएसएमई	696	93.96
28	मैसर्स पार्क नियंत्रण और संचार (प्रा.) लिमिटेड , बेंगलुरु	एमएसएमई	318.35888	36.62958
29	मैसर्स टाइमटूथ प्रौद्योगिकी प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली	एमएसएमई	858	118.23948
30	मैसर्स वेरडेंट टेलीमेटरी और एंटीना प्रणाली प्रा . लिमिटेड,कोच्चि	एमएसएमई	237	0
31	मैसर्स वर्साबाइट डाटा सिस्टम प्रा. लिमिटेड , बेंगलुरु	एमएसएमई	593.10344	78.29928
32	मैसर्स एसबीईएम प्रा .लिमिटेड ,पुणे	एमएसएमई	467.815	31.67316
33	मैसर्स इंस्ट्रॉन प्रौद्योगिकी एलएलपी, पुणे	एमएसएमई	130	0
34	मैसर्स पिलानी इलेक्ट्रॉन ट्यूब्स और उपकरण प्राइवेट लिमिटेड, संगरूर	एमएसएमई	376	0
35	मैसर्स ट्रिनिटेक इंफ्रास्ट्रक्चर (भारत) प्रा . लिमिटेड, विशाखापट्टणम	एमएसएमई	612.1134	24.34475
36	मैसर्स चक्रधर एयरोस्पेस और कार्गो प्राइवेट लिमिटेड,कोयंबत्तूर	एमएसएमई	241.56	43.47707
37	मैसर्स चक्रधर एयरोस्पेस और कार्गो प्राइवेट लिमिटेड,कोयंबत्तूर	एमएसएमई	144	25.92
38	मैसर्स कॉगनाइट सिमेंटिक्स प्राइवेट लिमिटेड , बेंगलुरु	एमएसएमई	650	0
39	मैसर्स गनानी इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड , बेंगलुरु	एमएसएमई	740	0
40			501	0

	मैसर्स वर्साबाइट डाटा सिस्टम प्रा .लिमिटेड , बेंगलुरु	एमएसएमई		
41	मैसर्स नवस्टार एकीकृत प्रणाली प्रा .लिमिटेड , हैदराबाद, तेलंगाना	एमएसएमई	985	0
42	मैसर्स रासु टूल्स लिमिटेड ,संगारेड्डी (तेलंगाना)	एमएसएमई	463	8.334
43	मैसर्स हाई एनर्जी बैटरी (भारत) लिमिटेड , चेन्नई	एमएसएमई	885	0
44	मैसर्स न्यूकॉन एयरोस्पेस प्रा .लिमिटेड , हैदराबाद	एमएसएमई	113.071	20.35276
45	मैसर्स न्यूकॉन एयरोस्पेस प्रा .लिमिटेड , हैदराबाद	एमएसएमई	135.708	24.42735
46	मैसर्स जयश्री एनकोडर्स प्रा .लिमिटेड ,पुणे	एमएसएमई	15	0
47	मैसर्स एडिन प्रौद्योगिकी प्राइवेट लिमिटेड	एमएसएमई	285	0
48	राफेम्फिब्र प्रा .लिमिटेड	स्टार्ट-अप	870	487.7153129
49	बेलाट्रिक्स एयरोस्पेस प्रा .लिमिटेड बेंगलुरू	स्टार्ट-अप	970.58	206.92359
50	मैसर्स मॉर्फेडो प्रौद्योगिकी प्रा .लिमिटेड, नोएडा	स्टार्ट-अप	120	20.28134
51	मैसर्स मनास्तु अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी ,प्राइवेट लिमिटेड ,मुंबई	स्टार्ट-अप	900	266.84664
52	मैसर्स स्काईरूट एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड , हैदराबाद	स्टार्ट-अप	300	53.53
53	मैसर्स तेजसे एयरोसेंस प्रा .लिमिटेड ,राउरकेला	स्टार्ट-अप	150	0
54	मैसर्स न्यूस्पेस रिसर्च तथा प्रौद्योगिकी प्राइवेट लिमिटेड, बेंगलुरू	स्टार्ट-अप	100	0
55	मैसर्स इनोकी केयर प्राइवेट लिमिटेड ,जोरहाट (असम)	स्टार्ट-अप	64	0
56	मैसर्स क्वार्टोडोंडा प्रौद्योगिकी प्रा .लिमिटेड , तंजावुर (तमिलनाडु)	स्टार्ट-अप	57	0
57	मैसर्स कॉम्बेट रोबोटिक्स इंडिया प्रा.लि., चिखली	स्टार्ट-अप	90	0
58	मैसर्स इनजीनियस रिसर्च सोल्यूशन प्रा .लिमिटेड ,फरीदाबाद	स्टार्ट-अप	100	3.45
59	मैसर्स फ्रशर प्रौद्योगिकी प्राइवेट लिमिटेड ,	स्टार्ट-अप	78	11.2743

	बेंगलुरू			
60	मैसर्स स्किसेप्ट एडवांस्ड प्रौद्योगिकी (ओपीसी) प्रा.लि. ,कोलकाता ,पश्चिम बंगाल	स्टार्ट-अप	82.5	0
61	डॉ एमजीआर - एआरआई प्रौद्योगिकी इनोवेशन प्रा .लिमिटेड,चेन्नई	स्टार्ट-अप	57.08	9.745
62	मैसर्स वशिष्ठ रिसर्च प्रा.लि., तिरुवनंतपुरम, (डी2डी विनर)	स्टार्ट-अप	100	0
63	मैसर्स चिस्तात लैब प्रा .लिमिटेड ,पुणे	स्टार्ट-अप	95	0
64	मैसर्स अल्फासीन प्रौद्योगिकी प्रा .लिमिटेड , लखनऊ	स्टार्ट-अप	135.708	0
65	मैसर्स अल्फासीन प्रौद्योगिकी प्रा .लिमिटेड , लखनऊ	स्टार्ट-अप	113.071	0
66	डॉ एमजीआर – एआरआई प्रौद्योगिकी इनोवेशन प्रा .लिमिटेड,चेन्नई	स्टार्ट-अप	94.5	0
			28345.17072	**5599.064543**

यह जानकारी आज रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट ने **श्री जयदेव गल्ला** द्वारा पुछे गए प्रश्न के लिखित जवाब में लोक सभा के पटल पर रखी।

एसआर/डीएस

/लोक सभा/

“33”
pib.nic.in

mod.nic.in

पत्र सूचना कार्यालय (रक्षा विंग)

भारत सरकार

****

'हर काम देश के नाम'

नई दिल्लीः अग्रहायण 18, 1944

शुक्रवारः 09 दिसंबर 2022

सरकारी विभागों में पूर्व सैनिकों की भागीदारी

पूर्व सैनिकों (ईएसएम) के लिए उपलब्ध आरक्षण का मौजूदा कोटा निम्नानुसार हैः

- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (पीएसबी) और केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (सीपीएसयू):
  - सभी सीधी भर्ती समूह 'ग' पदों में 14.5%
  - सभी सीधी भर्ती समूह 'घ' पदों में 24.5%

  (विकलांग ईएसएम और कार्य के दौरान मारे गए सेना कार्मिक के आश्रितों के लिए 4.5% सहित)
- केन्द्र सरकार के मंत्रालयों/विभाग के केन्द्रीय सिविल सेवा एवं पद (सीसीएस एंड पी) और केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ):

  i. केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) में असिसेंट कमानडेन्ट के स्तर तक सभी सीधी भर्ती पदों में 10%

  ii. सभी सीधी भर्ती समूह 'ग' पदों में 10%

  iii. सभी सीधी भर्ती समूह 'घ' पदों में 20%
- रक्षा सुरक्षा कोर में 100% ।

ईएसएम के लिए आरक्षण केवल सीधी भर्ती रिक्तियों के लिए किया जाता है जिनकी संख्या को नियुक्ति प्राधिकरण द्वारा जब भर्ती प्रक्रिया आरंभ की जाती है तैयार किया जाता है ।

दिनांक 31.12.2021 की स्थिति के अनुसार पिछले पांच वर्षों के दौरान उपलब्ध डाटा के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों की वर्ष-वार भर्ती का ब्योरा निम्नानुसार हैः

वर्ष	**ईएसएम की संख्या**
2017	5638
2018	4175
2019	2968
2020	2584

2021	4343

कोई स्वतंत्र मूल्यांकन नहीं किया गया है । तथापि, भूतपूर्व सैनिकों की भर्ती की संख्या में सुधार लाने के उद्देश्य से सभी संबंधित विभागों/केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/बैंकों/राज्य सरकारों को भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित रिक्तियों के बैकलॉग को भरने हेतु विशेष अभियान आयोजित करने और उनकी भर्ती हेतु अर्हताओं के रियायत मानकों को अपनाने के लिए समय समय पर एडवाईजरी जारी की गई हैं । भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण नीति का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/बैंकों में संपर्क अधिकारियों को नियुक्त किया गया है ।

पिछले 05 वर्षों (वर्ष 2017-18 से 2021-22) के दौरान पुनर्वास प्रशिक्षण/कौशल पाठ्यक्रमों के लिए डीजीआर में नामांकित कार्मिकों की कुल संख्या निम्नानुसार हैः

वित्त वर्ष	**नामांकित कार्मिकों की संख्या**
2017-18	7904
2018-19	6463
2019-20	6626
2020-21	644
2021-22	4240
कुल	**25877**

प्रशिक्षण/पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद जब प्रशिक्षुओं को नौकरी मिल जाती है, तो वे वापिस रिपोर्ट नहीं करते हैं, इसलिए इन संख्याओं को अलग से नहीं रखा जा रहा है ।

पिछले पांच वर्षों के दौरान केवल एक अफसर की विधवा ने पुनर्वास प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के लिए नामांकन किया था और जेसीओ/ओआर से कोई भी नामांकित नहीं हुआ ।

यह जानकारी आज रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट ने **श्री बालूभाऊ उर्फ सुरेश नारायण धानोरकर और अन्य** द्वारा पुछे गए प्रश्न के लिखित जवाब में लोक सभा के पटल पर रखी।

एसआर/डीएस

/लोक सभा/

“33”
pib.nic.in
mod.nic.in

पत्र सूचना कार्यालय (रक्षा विंग)

भारत सरकार

****

'हर काम देश के नाम'

नई दिल्लीः अग्रहायण 18, 1944
शुक्रवारः 09 दिसंबर 2022

वीरगति को प्राप्त सैनिकों के आश्रितों को वित्तीय सहायता

सरकार ने वीरगति को प्राप्त सैनिकों के बच्चों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य सुविधाओं में रियायत प्रदान करने के लिए विभिन्न प्रावधान किए हैं।

बाल शिक्षा अनुदान: युद्ध में लापता/निशक्त/ वीरगति को प्राप्तद अधिकारियों/ ऑफिसर रैंक से नीचे के कार्मिकों को निम्नलिखित शैक्षणिक रियायत प्रदान की जा रही हैः-

(i) **ट्यूशन फीसः** सम्बद्ध शिक्षण संस्थानों द्वारा वसूल की गई (विद्यालय द्वारा संचालित स्कूल बस के लिए वसूला गया शुल्क अथवा बस के लिए लिया गया शुल्क अथवा छात्रों के लिए रेलवे पास के लिए भुगतान किया गया वास्तविक किराया अथवा संस्थानों के प्रमुख द्वारा प्रमाणित बस किराए सहित) ट्यूशन फीस (इसमें कैपिटेशन फीस और जमानत राशि शामिल नहीं) की से पूर्ण प्रतिपूर्ति।

(ii) **छात्रावास शुल्कः** बोर्डिंग स्कूल और महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं के लिए छात्रावास शुल्क की पूर्ण प्रतिपूर्ति।

(iii) **पुस्तकों/स्टेशनरी की लागतः** 2000 रु. (दो हजार रु. मात्र) प्रति वर्ष अथवा छात्र द्वारा दावा की गई धनराशि, जो भी कम हो।

(iv) **यूनिफार्म जहां यह अनिवार्य है, की लागतः** 2000 रु. (दो हजार रु. मात्र) अथवा छात्र द्वारा दावा की गई धनराशि, जो भी कम हो।

(v) **क्लोथिंगः** 700 रु. (सात सौ रुपए मात्र) प्रति छात्र प्रति वर्ष अथवा छात्र द्वारा दावा की गई धनराशि, जो भी कम हो।

निःशुल्क स्वास्थ्य योजनाः ईसीएचएस (भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना) में युद्ध- विधवा/ युद्ध में निशक्त हुए सैन्य कार्मिकों और उनके निकटतम संबंधियों को निःशुल्क स्वास्थ्य देखभाल का प्रावधान है। युद्ध विधवाओं को सदस्यता शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है।

अन्य सुविधाएं:

पुनर्वास महानिदेशालय (डीजीआर) द्वारा युद्ध विधवाओं/ उनके आश्रितों के उचित पुनर्वास को सुनिश्चित करने के लिए पेट्रोल पम्प आदि के आवंटन जैसी अन्य पुनर्वास योजनाएं भी चलाई जाती हैं।

वीरगति को प्राप्त सैनिकों के परिवारों/आश्रितों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। ब्यौरे अनुबंध में दिए गए हैं।

उल्लिखित अनुबंध

भारतीय सेना

पात्रता शीट : निकटतम संबंधी				
क्र.सं.	**पात्रता**	**पात्रता धनराशी**		
		आफिसर्स	जूनियर कमिशंड आफिसर (जेसीओ)	अन्य रैंक (ओआर)
1.	केन्द्र सरकार अनुग्रह राशि	25 से 45 लाख	25 से 45 लाख	25 से 45 लाख
2.	एजीआई परिपक्वता	अंशदान के अनुसार		
3.	पेंशन	उदारीकृत/ विशेष पारिवारिक पेंशन 100%/ अन्तिम आरई का 60 प्रतिशत (बेसिक पे+ एमएसपी)		
4.	डीसीआरजी	सेवाकाल की अवधि के आधार पर (अधिकतम 20 लाख)		
5.	एफएसए (अवकाश नकदीकरण और डीएसओपी/ एएफपीपी निधि)	यथा लागू		
6.	अनुग्रह राशि (एसी डब्ल्यूएफ)	800000	800000	800000
7.	अनुग्रह राशि (राज्य सरकार का स्थानीय निवासी)	यथा लागू		

भारतीय सेना भूतपूर्व सैनिक निदेशालय (डीआईएवी) द्वारा युद्ध हताहत के निकटतम संबंधी को प्रदान की जा रही सहायता			
क्र.सं.	**श्रेणी**	**धनराशि**	**टिप्पणी**
(क)	वित्तीय अनुदान		
	सेना केन्द्रीय कल्याण निधि (के) से अनुग्रह राशि युद्ध हताहत के निकटतम संबंधी को प्रदान की जाती है।	8,00,000 रुपए	प्रथम अंश- 100000 (हताहत होने पर) द्वितीय अंश- 700000 (अंतिम दस्तावेज प्राप्त होने पर)
(ख)	कल्याण योजनाएं		
	(i) पुत्री का विवाह/ अनाथ पुत्र का विवाह, विधवा का पुनर्विवाह	1,00,000 रुपए	
	(ii) **बच्चों के लिए शिक्षा छात्रवृत्ति** (कक) स्नातक तक	सी डब्ल्यू-3 के माध्यम से स्नातक तक सम्पूर्ण व्यय को कवर करते हुए शिक्षा छात्रवृत्ति	
	(कख) स्नातकोत्तर	25,000 रुपए प्रतिवर्ष (अधिकतम)	
	(कग) प्रोफेशनल पाठ्यक्रम	50,000 रुपए प्रतिवर्ष (अधिकतम)	
	(iii) बच्चों और विधवाओं के लिए **एक बारगी कम्प्यूटर अनुदान** (स्नातक और उससे उपर के स्तर पर अध्ययनरत)	35,000 रुपए	
	(iv) विधवा के लिए उच्च शिक्षा		

	(कक) स्नातक तक	20,000 रुपए प्रतिवर्ष (अधिकतम)
	(कख) स्नातकोत्तर	25,000 रुपए प्रतिवर्ष (अधिकतम)
	(कग) प्रोफेशनल पाठ्यक्रम	50,000 रुपए प्रतिवर्ष (अधिकतम)

भारतीय नौसेना

नौसेना कार्मिक के निकट संबंधियों के लिए हकदारी के अनुसार पेंशन सबंधी लाभ (एलएफपी/एसएफपी/ओएफपी, अनुग्रह-राशि, डीसीआरजी/उपदान) का भुगतान किया जाता है। वीरगति को प्राप्त सैनिकों की विधवाओं और आश्रितों को अनुग्रह-राशि जैसे लाभों के संबंध में वित्तीय सहायता विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत सरकार द्वारा लागू पेंशन विनियमन के अनुसार प्रदान की जाती है । परिवारों और आश्रितों लिए परिवार पेंशन और उपदान दिवंगत सैनिकों द्वारा अंतिम वेतन और उनकी मृत्यु के समय धारित अंतिम रैंक के आधार पर होते हैं जबकि अनुग्रह धनराशि युद्ध के दौरान अथवा कर्तव्य निर्वहन के दौरान शहीद हुए सैनिक के निकट संबंधी को रैंक और अर्हक सेवा पर ध्यान दिए बिना मृत्यु की परिस्थितियों के आधार पर दी जाती है । अनुग्रही मुआवजा 25-45 लाख रुपए की श्रेणी में दिया जाता है ।

भारतीय वायुसेना

भारतीय वायु सेना में पेंशन का समय पर वितरण के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के माध्यम से एक संस्थागत तंत्र और निकट संबंधियों/ आश्रितों के लिए अन्य गैर-प्रभावी (एनई) लाभ दिया गया है । तथापि, सरकारी नीति के अनुसार युद्ध के दौरान वीरगति को प्राप्त वायु सैन्य योद्धाओं के निकट संबंधियों के लिए निम्नलिखित पेंशन-संबंधी लाभ दिए जा रहे हैं:-

(i) **उदारीकृत परिवार पेंशन (एलएफपी):-** उदारीकृत परिवार पेंशन युद्ध में शहीद हुए वायुसेना योद्धाओं के निकट संबंधियों को दिया जा रहा है । इसे आतंकवादियों द्वारा हिंसा/हमला, समाज विरोधी तत्वों, अंतर्राष्ट्रीय युद्ध में शत्रु के विरुद्ध कार्रवाई, विदेश में शांति मिशन के साथ तैनाती के दौरान कार्रवाई, सीमा पर मुठभेडों आदि के कारण सशस्त्र बल कार्मिक की मृत्यु के मामले में प्रदान किया जाता है । इसे गणना की गई परिलब्धियों + समय-समय पर लागू ग्राह्य मंहगाई राहत के 100% के दर पर प्रदान किया जाता है । यह विधवा के पुनर्विवाह के बाद भी जारी रहता है ।

(ii) **मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति उपदान (डीसीआरजी):** यह राशि ऐसे शहीद ऑफिसर/एयरमेन /एनसी (ई) जो सेवा के दौरान मारे जाते है, को अर्हक सेवा की अवधि के अनुसार उनकी विधवा पत्नी/निकटतम संबंधी/नामांकित परिवार के सदस्य को देय होती है ।

(iii) **अनुग्रह राशि का भुगतान:** निम्नलिखित ब्यौरों के अनुसार एकमुश्त अनग्रह राशि दी जाती है:-

क्र.सं.	परिस्थितियां	दर (रु. में)
(कक)	ड्यूटी के निर्वहन के दौरान दुर्घटना के कारण होने वाली मृत्यु	25 लाख
(कख)	आतंकवादियों, असामाजिक तत्वों द्वारा हिंसक गतिविधियों के कारण ड्यूटी के निर्वहन के दौरान हुई मृत्यु	25 लाख
(कग)	सीमा पर हुई मुठभेड़ और उग्रवादियों, आतंकवादियों, चरमपंथियों, जलदस्युओं के खिलाफ कार्रवाई के दौरान हुई मृत्यु	35 लाख
(कघ)	विशिष्ट उच्च तुंगता क्षेत्र, कठिन पहुंच वाली सीमावर्ती पोस्टों, प्राकृतिक आपदाओं, विषम मौसम परिस्थितियों में ड्यूटी के दौरान हुई मृत्यु	35 लाख
(कङ.)	युद्ध में शत्रु का सामना करते हुए अथवा युद्ध जैसी स्थिति में हुई मृत्यु जिसे रक्षा मंत्रालय द्वारा विशेष रूप से अधिसूचित किया गया है और विदेश में युद्धग्रस्त क्षेत्र से भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने के दौरान हुई मृत्यु	45 लाख

केन्द्रीय सैनिक बोर्ड (केएसबी) द्वारा चलाए जा रहे कल्याण योजनाओं के ब्यौरेः-

1. रक्षा मंत्री भूतपूर्व सैनिक कल्याण निधि (आरएमईडब्ल्यूएफ) के तहत सशस्त्र सेना झंडा दिवस निधि एएफएफडीएएफ से दी गई वित्तीय सहायता/लाभ

क्र.सं.	अनुदान	राशि (रु. में)
(क)	**निर्धनता अनुदान**(65 वर्ष या उससे अधिक) (हवलदार रैंक तक गैर-पेंशनभोगी)	4000/- रु. प्रति माह (जीवन पर्यन्त)
(ख)	**शिक्षा अनुदान** (दो बच्चों तक) i. स्नातक तक छात्रों/छात्राओं को ii. स्नातकोत्तर तक विधवाओं को (हवलदार रैंक तक पेंशनभोगी/गैर-पेंशनभोगी)और 2 बच्चों तक	1000/- रु. प्रति माह
(ग)	**निःशक्त बाल अनुदान** (जेसीओ रैंक तक पेंशनभोगी /गैर- पेंशनभोगी)	3000/- रु. प्रति माह
(घ)	पुत्री विवाह अनुदान (दो पुत्रियों तक) (हवलदार रैंक तक पेंशनभोगी /गैर- पेंशनभोगी)	50,000/-रुपए
	विधवा पुनर्विवाह अनुदान (हवलदार रैंक तक पेंशनभोगी /गैर- पेंशनभोगी) *यदि 21 अप्रैल 16 को या उसके बाद सत्यनिष्ठा से विवाहित	
(ङ.)	**चिकित्सा अनुदान** (हवलदार रैंक तक गैर-पेंशनभोगी)	30,000/- रु. (अधिकतम)
(च)	**अनाथ अनुदान** (सभी रैंकों के पेंशनभोगी / गैर- पेंशनभोगी) • विवाह होने तक भूतपूर्व-सैनिकों की पुत्रियां • 21 वर्ष की आयु तक भूतपूर्व-सैनिक का एक पुत्र	3000/- रुपए प्रति माह

(छ)	**विधवाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण अनुदान** (हवलदार रैंक तक पेंशनभोगी/गैर- पेंशनभोगी)	20,000/- रुपए एक बार

2. सभी रैंकों के गैर पेंशन भोगी भूतपूर्व सैनिक के लिए एएफएफडी निधि से गंभीर बीमारी हेतु अनुदान

(क) **गंभीर बीमारियां नीचे सूचीबद्ध हैं:-** एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी, सीएबीजी, ओपन हर्ट सर्जरी, वाल्व रिप्लेसमेंट, पेसमेकर इंप्लांट, रीनल इंप्लांट, प्रोस्टेट सर्जरी, ज्वाइंट रिप्लेसमेंट और सिरेब्रल स्ट्रोक। **अन्य बीमारियां** :- जहां इलाज पर 1.00 लाख से अधिक रुपया खर्च किया गया है।	**क्रमशः अफसर और पीबीओआर के लिए कुल खर्च का 75% / 90% । अधिकतम 1.25 लाख रु. तक अधिकतम।**
(ख) डायलिसिस और कैंसर इलाज	**क्रमशः अफसर और पीबीओआर कुल खर्च का 75% / 90% । प्रति वित्तीय वर्ष अधिकतम 75,000 रु. तक।**

3. **संशोधित स्कूटर अनुदानः** एक लाख रु. उन पूर्व सैनिकों को दिए जाते हैं जो 50 प्रतिशत या उससे अधिक निशक्तता के साथ सेवा बाद निशक्त हो गए हैं या जो आईएचक्यू (सेना, नौसेना एवं वायु सेना) की एजी शाखा की योजना के अन्तर्गत शामिल नहीं होते हैं।

4. **गृह ऋण पर सब्सिडी:** केएसबी युद्ध में शोक संतप्त, युद्ध में हुए निशक्त और शांतिकाल के समय हताहत होने वालों को गृह निर्माण के लिए बैंकों / सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं से गृह ऋण पर सब्सिडी के रूप में ब्याज के 50 प्रतिशत भाग की प्रतिपूर्ति करता है। 1,00,000/- रु. (अधिकतम)

5. **प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना :** कुल 5500 छात्रों को पूरी पाठ्यक्रम अवधि के लिए मेरिट आधार पर पात्र वार्डों को यह छात्रवृत्ति दी जाती है। छात्रवृत्ति की दरें निम्नवत हैं:-

(क) छात्रों के लिए 2500/- रु. प्रति माह।

(ख) छात्राओं के लिए 3000/- रु. प्रति माह।

6. पूर्व सैनिकों के पुनर्वास में कार्यरत संस्थानों के लिए वित्तीय सहायता

क्र.सं.	**संगठन**	**सहायता / अनुदान मात्रा**	
(क)	**पैराप्लेजिक पुनर्वास केन्द्र** (i) खड़की (ii) मोहली	**स्थापना अनुदान (प्रति वर्ष)** (i) 1.20 करोड़ रु. 16 अप्रैल, से (ii) 10,00,000/- (अप्रैल 2015	30,000/- प्रतिवर्ष प्रति इनमेट

		से)	
(ख)	अखिल भारतीय गोरखा पूर्व सैनिक कल्याण एसोसिएशन, देहरादून	12,00,000/- रु. प्रति वर्ष	
(ग)	**शेशायर होम्स** (i) लखनऊ, दिल्ली, एवं देहरादून	15,000/- रु. प्रतिवर्ष प्रति इनमेट	
(घ)	**<u>युद्ध स्मारक हास्टल</u>.** 36 युद्ध स्मारक हास्टल हैं जो युद्ध विधवाओं / युद्ध में हुए निशक्त सैनिकों के बच्चों को आरोप्य और गैर आरोप्य मामलों में सहायता प्रदान करते हैं ।	1350 रु. प्रतिमाह	

7. **भारत सरकार नोमिनी के रूप में रक्षा कार्मिकों के वार्डों के लिए चिकित्सा / दंत चिकित्सा कालेजों में सीटों को आरक्षण :-** स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा भारत सरकार नॉमिनी के रूप में रक्षा कार्मिकों के वार्डों के लिए केएसबी को एमबीबीएस पाठ्यक्रम में कुल 42 सीटें तथा बीडीएस कोर्स में कुल 03 सीटें आवंटित करता है ।

8. **<u>रेल यात्रा रियायत पहचान पत्र</u>ः** केएसबी सचिवालय युद्ध विधवाओं के लिए रेल यात्रा रियायत पहचान पत्र जारी करता है ।

यह जानकारी आज रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट ने **श्री जसवंतसिंह सुमनभाई भाभोर** द्वारा पुछे गए प्रश्न के लिखित जवाब में लोक सभा के पटल पर रखी।

एसआर/डीएस

/लोक सभा/

“33”
pib.nic.in
mod.nic.in

पत्र सूचना कार्यालय (रक्षा विंग)

भारत सरकार

****

‘हर काम देश के नाम’

नई दिल्लीः अग्रहायण 18, 1944
शुक्रवारः 09 दिसंबर 2022

अंतरिक्ष रक्षा मिशन

माननीय प्रधानमंत्री द्वारा अक्तूबर, 2022 में डेफएक्सपो के दौरान अन्तिम प्रयोक्ताओं के अनुकूल 75 डिफेंस स्पेस चेलेंजेज सहित मिशन डेफस्पेस का शुभारंभ किया गया था। इन चुनौतियों को आईडेक्स की मौजूदा डीडीपी पहलों अर्थात मेक 1 और मेक 2 में वर्गीकृत किया गया है। इनके लिए

स्टार्ट अप्स, एमएसएमई तथा निजी प्रवर्तकों सहित निजी उद्योग आवेदन करने के लिए पात्र हैं । पांच भागों अर्थात लांच सिस्टम, सेटेलाइट सिस्टम, संचार एवं पेलोड सिस्टम, ग्राउन्ड सिस्टम तथा साफ्टवेयर सिस्टम में वर्गीकृत चुनौतियां स्पेस का पूर्ण 360° दृश्य प्रदान करती हैं ।

सरकार ने विगत कुछ वर्षों में अनेक नीतिगत पहलें कार्यान्वित की हैं और देश में रक्षा विनिर्माण एवं प्रौद्योगिकी में आत्म निर्भरता को बढ़ावा देते हुए रक्षा उपस्करों के स्वदेशी अभिकल्पन, विकास तथा विनिर्माण को प्रोत्साहित करने में सुधार किया है । इन पहलों में अन्य बातों के साथ-साथ रक्षा अर्जन प्रक्रिया (डीएपी) – 2020 के अन्तर्गत घरेलू स्रोतों से पूंजीगत सामग्री की अधिप्राप्ति को वरीयता देना; मार्च, 2022 में उद्योग द्वारा अभिकल्पन एवं विकास के लिए 18 प्रमुख रक्षा प्लेटफार्मों की घोषणा करना; सेनाओं की कुल 411 मदों की चार 'सकारात्मक स्वदेशीकरण सूचियां' और सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों (डीपीएसयू) की कुल 3738 मदों की तीन 'सकारात्मक स्वदेशीकरण सूचियों' जिनके लिए उनके समक्ष दर्शाई गई समय सीमा के बाद आयात पर निषेध होगा, संबंधी अधिसूचना; दीर्घकालिक वैधता अवधि के साथ औद्योगिक लाइसेंसिंग प्रक्रिया का सरलीकरण; आटोमैटिक रूट के अन्तर्गत 74 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति देते हुए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) का उदारीकरण; मेक प्रक्रिया का सरलीकरण; स्टार्टअप्स, एवं सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को सम्मिलित करके रक्षा उत्कृष्टता नवाचार (आईडेक्स) योजना का शुभारंभ; सरकारी अधिप्राप्ति (भारत में निर्माण को वरीयता) आदेश 2017 का कार्यान्वयन; एमएसएमई सहित भारतीय उद्योग द्वारा स्वदेशीकरण को सुकर बनाने के लिए "सृजन" नामक स्वदेशी पोर्टल का शुभारंभ; निवेश को आकर्षित करने और हायर मल्टीप्लायर्स द्वारा रक्षा विनिर्माण के प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर बल देने के लिए आफसेट नीति में सुधार करना; उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु प्रत्येक में एक-एक रक्षा औद्योगिक गलियारों की स्थापना; रक्षा अनुसंधान एवं विकास बजट के 25 प्रतिशत के साथ उद्योग, स्टार्टअप्स तथा अकादमियों के लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी) का शुभारंभ तथा घरेलू स्रोतों से अधिप्राप्ति के लिए सैन्य आधुनिकीकरण के रक्षा बजट के आवंटन में उत्तरोत्तर वृद्धि करना इत्यादि सम्मिलित हैं ।

यह जानकारी आज रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट ने **श्री राजा अमरेश्वर नाईक और अन्य** द्वारा पुछे गए प्रश्न के लिखित जवाब में लोक सभा के पटल पर रखी।

एसआर/डीएस

/लोक सभा/

“33”
pib.nic.in
mod.nic.in

पत्र सूचना कार्यालय (रक्षा विंग)

भारत सरकार

****

‘हर काम देश के नाम’

नई दिल्लीः अग्रहायण 18, 1944
शुक्रवारः 09 दिसंबर 2022

रक्षा क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी

सशस्त्र सेनाओं में महिलाओं की प्रतिशतता निम्नानुसार है:-

सेना	अधिकारी (एएमसी/एडीसी को	3.97%

(1 जुलाई, 2022 की स्थिति के अनुसार)	छोड़कर)	
	अधिकारी (एएमसी/एडीसी)	21.25%
	एमएनएस अधिकारी	100%
	जेसीओ/ओआर	0.01%
नौसेना	अधिकारी	लगभग 6 %
वायु सेना (1 दिसंबर, 2022 की स्थिति के अनुसार)	अधिकारी (चिकित्सा और दंत चिकित्सा शाखा को छोड़कर)	13.69%

(i) **<u>अधिकारी</u>**

वर्ष	**भर्ती (एएमसी, एडीसी और एमएनएस को छोड़कर)**	**चिकित्सा अधिकारी**		
		एएमसी	**एडीसी**	**एमएनएस**
2018	75	169	20	571
2019	80	102	34	180
2020	72	130	26	201
2021	75	51	05	205
2022	75	भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हुई		

(ii) **<u>जेसीओ/ओआर</u>**

भर्ती वर्ष	**<u>भर्ती</u>**
2019-20	100
2020-21	कोविड-19 के कारण भर्ती पर रोक लगा दी गयी
2021-22	
2022-23	100 (भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हुई)

संस्थान	**प्रतिवर्ष रिक्तियां (आज की तारीख में)**	**टिप्पणियां**
एनडीए	38 (सेना-20, नौसेना-06 और वायु सेना-12)	ये रिक्तियां निश्चित नहीं है और संबंधित सेनाओं की आवश्यकता पर आधारित हैं।
ओटीए	80	
आईएमए	20(एनडीए से सेना के कैडेट)	
एएफएमसी पुणे	30	

नर्सिंग कॉलेज (एमएनएस)	220	

भारतीय सेना में महिलाओं के लिए कोई पद रिक्त नहीं हैं। भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना में संस्वीकृत पदों के लिए महिला एवं पुरूषों के लिए समान हैं।

<u>सेना</u>

सशस्त्र सेनाओं में महिलाओं की कम्बैट एम्प्लोयमेंट फिलोसफी एक निरंतर परिवर्तित होने वाली प्रक्रिया है और भारतीय सेना द्वारा इसकी नियमित रूप से समीक्षा की जाती है । मौजूदा समय में सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवाओं में डॉक्टरों और सैन्य नर्सों जिनमें केवल महिलाओं के लिए प्रवेश है, के अतिरिक्त भारत में सेना में महिलाओं को दस शाखाओं अर्थात इंजीनियर कोर, सिग्नल कोर, आर्मी एयर डिफेंस, सेना सेवा कोर, आर्मी आर्डनेंस कोर, इलेक्ट्रानिक्स और मकेनिकल इंजीनियर कोर, आर्मी एविएशन कोर, आसूचना कोर, जज एडवोकेट जनरल ब्रांच और सेना शिक्षा कोर में कमीशन दिया जाता है । एसएससी महिला अफसरों को स्थायी कमीशन देने, एनडीए में महिला कैडेटों की भर्ती, प्रोवोस्ट जेसीओ / ओआर के तौर पर भर्ती जैसे नए अवसर दिए जाते हैं ।

<u>नौसेना</u>

भारतीय नौसेना में अधिकारियों के तौर पर महिलाओं की भर्ती वर्ष 1991 में शुरू की गई थी । तब से भारतीय नौसेना ने एनडीए के माध्यम से भर्ती सहित धीरे-धीरे सभी शाखाओं में महिलाओं के लिए द्वार खोल दिए हैं । इसके अलावा, पहली बार वर्ष 2022 से लागू हुई अग्निपथ स्कीम के अंतर्गत नौसैनिकों की भर्ती के लिए भी महिलाओं की भर्ती की जा रही है और महिलाओं के लिए 20% रिक्तियां आरक्षित हैं।

<u>वायु सेना</u>

भारतीय वायु सेना में अधिकारियों की भर्ती लैंगिक भेदभाव रहित है । महिलाओं को भारतीय वायु सेना की सभी शाखाओं और स्ट्रीम्स में शामिल किया जाता है । भारतीय वायु सेना सेवा में करियर के लिए अवसरों को प्रिंट / इलेक्ट्रानिक मीडिया और विशेष प्रचार अभियानों के माध्यम से विस्तृत रूप से प्रकाशित किया जाता है । जुलाई, 2017 से आगे फ्लाइंग एसएससी (महिला) के लिए एनसीसी विशेष भर्ती के माध्यम से भी शुरूआत की गई है । भारतीय वायु सेना द्वारा सभी कम्बैट भूमिकाओं में महिला अधिकारियों की भर्ती के लिए वर्ष 2015 में शुरू की गई प्रायोगिक स्कीम को अब एक स्थायी स्कीम में विनियमित कर दिया गया है । इस प्रकार के लैंगिक भेदभाव रहित दृष्टिकोण के परिणामस्वरूप भारतीय वायु सेना की महिला आफिसरों को निर्बाध रूप से सभी युद्धक भूमिकाओं में रोजगार प्राप्त होने की सुविधा प्राप्त हो रही है।

महिलाओं की कम भागीदारी के बारे में कोई अध्ययन नहीं किया गया है क्योंकि सशस्त्र सेनाओं में महिलाओं की भर्ती में लगातार बढ़ोतरी हो रही है ।

यह जानकारी आज रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट ने **श्री एन. रेड्डप्प और अन्य** द्वारा पुछे गए प्रश्न के लिखित जवाब में लोक सभा के पटल पर रखी।

एसआर/डीएस